



2026:AHC:162925

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7880

वर्ष 2026

योगेन्द्र नाथ चौरसिया

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राम प्रकाश राम

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से आपराधिक वाद संख्या 198/2024 (पुलिस थाना फूलपुर, जिला वाराणसी) में भादसं की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471 के तहत अग्रिम जमानत की मांग के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है; कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक और शिकायतकर्ता के बीच संपत्ति के विवाद को आपराधिक मामले में बदल दिया गया है और घसीटा गया है। कथित घटना 30.06.2024 को हुई बताई जाती है, जबकि प्राथमिकी 26.07.2024 को भादसं की धाराओं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



419, 420, 467 और 468 के तहत दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी के बारे में अभियोजन पक्ष ने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच चकबंदी अधिकारी की न्यायालय में वाद संख्या 78/2015 के तौर पर एक विवाद चल रहा था। उस मामले में, शिकायतकर्ता निर्मला देवी और उनकी बहन उर्मिला देवी द्वारा उठाई गई आपत्ति को चकबंदी न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उसके बाद, शिकायतकर्ता निर्मला देवी ने अपनी बहन के साथ मिलकर अपील संख्या 481/693 दायर की, जिसे बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी की न्यायालय ने 04.12.2017 के आदेश से खारिज कर दिया। 04.12.2017 के उक्त आदेश के खिलाफ, शिकायतकर्ता ने उप संचालक, चकबंदी के समक्ष एक निगरानी दायर की, जिसे 20.04.2018 के आदेश से स्वीकार कर लिया गया। चकबंदी के उप संचालक के आदेश से परेशान होकर, आवेदक ने रिट -बी- याचिका संख्या 3912/2018 दायर की, जो अभी भी लंबित है। इस न्यायालय ने 09.04.2024 को दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अगली तारीख 12.07.2024 तय की थी। आवेदक पर दबाव बनाने के लिए शिकायतकर्ता ने 26.07.2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई। आगे यह भी कहा गया है कि इस मामले में 01.09.2024 और 19.02.2025 को दो बार अंतिम रिपोर्ट जमा की गई थीं। क्षेत्राधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट स्वीकार नहीं की और आगे जांच का आदेश दिया। क्षेत्राधिकारी के आदेश के बाद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। यह भी बताया गया है कि पहले आवेदक को एक ऐसे मामले में फंसाया गया था जिसमें उसके खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया था। उस मामले के अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक जांच और विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को अग्रिम जमानत मिलती है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, एजीए. ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है, हालांकि, वे तथ्यों से इनकार नहीं करते हैं।

5. मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुने हैं और अभिलेख देखा है।

6. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत देने के प्रार्थना-पत्र पर



विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, उस व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना शामिल है, की संभावना, और न्याय से भागने की संभावना, जैसे देश छोड़कर भागना आदि पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, प्रार्थना-पत्र देने वाले की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जमानत देना है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

7. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 उच्चतम न्यायालय वाद 676** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी हो, या अपराध बहुत गंभीर हो, या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो, या आरोपी के भागने का डर हो। सिर्फ इसलिए कि गिरफ्तारी करना कानूनी है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति होने और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के औचित्य के बीच फ़र्क किया जाना चाहिए। अगर गिरफ्तारी को आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर जांच अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और आरोपी ने असल में पूरी जांच के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

8. अग्रिम जमानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले से जुड़ी सभी परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करते हुए - और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना - यह पाया गया है कि अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. इसलिए, अग्रिम जमानत की प्रार्थना-पत्र को निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार किया जाता है:-**

(i) अगर आवेदक - **योगेंद्र नाथ चौरसिया** - को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें मामले की सुनवाई पूरी होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें 50,000 रुपये का



व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें देनी होंगी, जो संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष या संबंधित न्यायालय को स्वीकार्य हों;

(ii) आवेदक जांच के दौरान जांच अधिकारी का सहयोग करेगा और जांच के मकसद से ज़रूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होगा;

(iii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का पालन न करने या उसका दुरुपयोग करने की स्थिति में, लोक अभियोजक/जांच अधिकारी/शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय में आवेदक को दी गई अग्रिम ज़मानत निरस्त करने के लिए उचित प्रार्थना-पत्र दाखिल करने की छूट होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

4 अगस्त, 2026

नितेंद्र